



HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1125/2025

Abhishek Son of Shri Birdichand, Age 19 years, Resident of Ward No.23, Rao Dheersingh Colony, Shahpura, District Jaipur (Rajasthan).

----Appellant/Claimant

Versus

1. Ramkaran Son of Hanuman Sahay, Resident of Dhani Mukta Wali, Tan Bhabru, Police Station Shahpura, District Jaipur (Rajasthan). (Driver Motorcycle No. RJ-02-TS-3336)
2. Veersingh Son of Bhoolsingh, Resident of Khundroth, Police Station Mandan, Tehsil Behror, District Alwar (Rajasthan). (Registered Owner Motorcycle No. RJ-02-TS-3336).
3. National Insurance Company Limited through Regional Manager, Office Jeevan Jyoti Building, Near Ambedkar Circle, Jaipur (Rajasthan). (Insurance Company Motorcycle No. RJ-02-TS-3336)
(Fresh Address- NBBC Center Opposite Hindustan Petroleum, Jyoti Nagar, Sardar Patel Near Bais Godam, Jaipur (Rajasthan).

----Respondents/Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Sharan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajeev Bhushan Bansal, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

08/05/2026

1. अपीलार्थी **अभिषेक** की ओर से प्रस्तुत यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत **न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण** (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) क्रम संख्या-02, शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-127/2022, **अभिषेक बनाम रामकरण व अन्य** में पारित



निर्णय दिनांक 27.01.2025 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी **अभिषेक** की ओर से जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता बिरदीचन्द द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में उसके पुत्र **अभिषेक** के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 41,60,000/- रुपये** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी को **कुल 3,34,100/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की कोई आय निर्धारित नहीं कर, आय की क्षति के मद में 22 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता होने के आधार पर एकमुश्त 3,00,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी पढ़ाई के साथ पशुपालन का कार्य कर 10,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के सिर, दाहिनी आंख व जबड़े पर गंभीर चोटें कारित हुईं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 22 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है व अन्य मदों में अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये



जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। उनका यह भी तर्क रहा है कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र घटना के लगभग चार साल बाद बनवाया गया है। अतः इसे न माना जावे।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई साधारण व गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 22 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-16 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap Son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases**

450, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:

15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously



suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 24.05.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 15 वर्ष की आयु का अध्ययनरत बालक होना बताते हुए पशुपालन का कार्य कर 10,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **मल्लिकार्जुन बनाम डिविजनल मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य, रिपोर्टेड इन (2014) 14 एस.सी.सी. 396** में पारित मतानुसार अपीलार्थी को कारित हुई 22 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए एकमुश्त 3,00,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को आय की क्षति के मद में दिलवाई गयी है। यहां यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में आहत/मृतक की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां आहत/मृतक को अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित की जानी चाहिए। हस्तगत मामले में अपीलार्थी को 13 वर्ष 4 माह का बालक होना बताया गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Hitesh Nagjibhai Patel Vs. Bababhai Nagjibhai Rabari & Anr., Civil Appeal No. 10278/2025 (Arising Out of SLP (C) No. 14444/2025)** में यह मत व्यक्त किया है कि :-

"9. On the aspect of monthly income of the minor appellant, we are inclined to interfere with the judgment and order of the Courts below. In the present case, it is evident that the Courts below have failed to take into account the monthly income of the appellant while determining the quantum of compensation. It is now a well-entrenched and consistently reiterated principle of law that a minor child who suffers death or permanent disability in a motor vehicle accident, cannot be placed in the same



category as a non-earning individual for the purposes of assessing the amount of compensation because the child was not engaged in gainful employment at the time of the accident. In such a case, the computation of compensation under the head of loss of income ought to be made by adopting, at the very least, the minimum wages payable to a skilled workman as notified for the relevant period in the respective State where the cause of action arises. The said observation was rendered by this Court, in *Kajal v. Jagdish Chand and Ors.*, and *Baby Sakshi Greola v. Manzoor Ahmad Simon and Anr.*"

15. For the purpose of emphasis, it is again clarified here that when a Tribunal or the High Court in appeal, is concerned with the case involving a child having suffered injury or having passed away, the calculation of loss of income necessarily has to be made on the matrix of minimum wages payable to a skilled worker in the respective State at the relevant point of time. It is our hope that this restatement helps avoiding such errors and thereby obviates the necessity of this Court's interference, applying well-established principles of law."

8. ऐसी स्थिति में हम, **Hitesh Nagjibhai Patel (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में आहत/बालक को कुशल श्रमिक होना मानते हुए घटना की तिथि 24.05.2019 को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। वक्त घटना कुशल श्रमिक की दैनिक आय 249/— रुपये, तदनुसार मासिक आय 7,470/— रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी बालक की आयु 13 वर्ष 4 माह निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया



जाना अपेक्षित है। तदनुसार 7,470/— रुपये का 40 प्रतिशत 2,988/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल मासिक आय 10,458/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई व अपीलार्थी के सिर, दाहिनी आंख व जबड़े पर गंभीर चोट कारित हुई, जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 22 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-16 के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। इस प्रकार अपीलार्थी को कारित हुई 22 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 22 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय 10,458/— रुपये का 22 प्रतिशत 2,301/— रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 13 वर्ष 4 माह होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की **कुल क्षति $2,301 \times 12 \times 15 = 4,14,180$ /— रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 14 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 8,400/— रुपये तथा इलाज के दौरान व्यय की गयी राशि के मद में 25,700/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है। उक्त मदों में दिलवाई गयी राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवायी गयी है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक



पीड़ा की मद में 22,000/— रुपये तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में 22,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में तथा अस्पताल आवागमन में व्यय हुई राशि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 15,000/— रुपये तथा अस्पताल आवागमन की मद में 10,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. उक्तानुसार दावाकर्ता/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	4,14,180/—
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	22,000/—
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में	22,000/—
4.	पौष्टिक आहार की मद में	15,000/—
5.	अस्पताल आवागमन पर व्यय राशि के मद में	10,000/—
6.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	25,700/—
7.	14 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	8,400/—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		5,17,280/—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		3,34,100/—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		1,83,180/—

14. तदनुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **3,34,100/— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **5,17,280/— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।



17. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /77s